

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011
के क्षेत्राधिकार में ली गई सेवाएं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किये जाने वाले
पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

विभाग का नाम :- गृह विभाग (पुलिस)

क्र० स०	विभाग की गतिविधियाँ / सेवाएं जो विधेयक में शामिल की गई हैं	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी *	सहायक पदाभिहित अधिकारी **	प्रथम अपीलीय अधिकारी ***	द्वितीय अपील अधिकारी ****	विशेष टिप्पणी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सर्विस सत्यापन	30 दिन	सम्बंधित उपायुक्त पुलिस/ पुलिस अधीक्षक	पुलिस निरीक्षक जिला विशेष शाखा	सम्बंधित पुलिस आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (आई० बी०) राज०	
2.	पासपोर्ट के लिए सत्यापन	30 दिन	सम्बंधित उपायुक्त पुलिस/ पुलिस अधीक्षक	पुलिस निरीक्षक जिला विशेष शाखा	सम्बंधित पुलिस आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (आई० बी०) राज०	
3.	आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण के लिए सत्यापन	30 दिन	सम्बंधित उपायुक्त पुलिस/ पुलिस अधीक्षक	पुलिस निरीक्षक जिला विशेष शाखा	सम्बंधित पुलिस आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (आई० बी०) राज०	
4.	एफ आई आर की प्रति /नकल उपलब्ध करवाना	24 घंटे	सम्बंधित थाना अधिकारी	सम्बंधित थाने का ड्यूटी ऑफिसर	सम्बंधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	सम्बंधित पुलिस उपायुक्त/ जिला पुलिस अधीक्षक	

अधिप्रमाणित



विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

- * आवेदन पत्र लेने एवं सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी
- ** सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी की सहायता हेतु अधिकारी
- *** निर्धारित समयावधि में सेवा प्रदान नहीं कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध सुनवाई करने वाला अधिकारी
- **** प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई करने वाला अधिकारी